



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256149
CG-DL-E-07082024-256149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 438]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 477(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 24 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 218 (ई) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा, श्री प्रदीप भगवंतराव नलवाड़े, शेड अधीक्षक, यातायात विभाग को श्री डी. एस. खेसे, शेड अधीक्षक, यातायात विभाग, एमबीपीटी डॉक एंड सामान्य कर्मचारी यूनियन के स्थान पर तत्काल प्रभाव से मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। इस बोर्ड की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी। यह नियुक्ति चेक-ऑफ की वैधता तिथि, अथवा सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने, अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2024

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1(f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R. 218(E) dated 24th March, 2023, the Central Government hereby appoints Shri Pradeep Bhagawantrao Nalavde, Shed Superintendent, Traffic Department, in place of Shri D.S. Khese, Shed Superintendent, Traffic Department, MbPT Dock & General Employees Union, as Member representing the interest of the employees on the Board of Mumbai Port Authority with immediate effect. The Appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.